



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257289
CG-DL-E-20092024-257289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946

No. 540]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 582(अ).— वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/111/2024-एफसी]

रमेश कुमार पांडेय, वन महानिरीक्षक

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

G.S.R. 582(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: —

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the third, fourth, and fifth proviso, the following proviso, shall be substituted, namely : —

“Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis”.

3. In Schedule-II to the said rules, in the table, —

- (i) The entries against serial number 2, under the brackets and words “(This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)” shall be omitted;
- (ii) The entries against serial number 3, under the brackets and words “(This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)” shall be omitted.

[F. No. FC- 11/111/2024-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 869(E), dated the 29th November, 2023.